

राजस्थान सरकार  
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(4)आयो.-1/मूल्यां/2019

जयपुर, दिनांक:-

- 3 NOV 2020

आज्ञा

राजस्थान मूल्यांकन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सामने अंकित स्थानों पर किये जाते हैं:-

| क्र. स | नाम                    | वर्तमान पदस्थापन  | नव पदस्थापन स्थान                                     | विशेष विवरण                                |
|--------|------------------------|---|---|--|
| 1      | डॉ. लेखा महला          | उपनिदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, जयपुर                         | संयुक्त निदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, जयपुर       | पदोन्नति पर रिक्त पद पर                    |
| 2      | श्री कैलाश चन्द कलाकार | संयुक्त निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर (पदविरुद्ध) | संयुक्त निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर | पदोन्नति पर                                |
| 3      | श्री सीता राम यादव     | सहायक निदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन जयपुर                      | उपनिदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, जयपुर             | पदोन्नति पर डॉ. महला के स्थान पर           |
| 4      | श्री ओम प्रकाश मेहता   | सहायक निदेशक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, उदयपुर                    | उप निदेशक(सां.), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर | पदोन्नति पर रिक्त पद पर                    |
| 5      | डॉ. मोहम्मद रफीक       | सहायक निदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन जयपुर (पदविरुद्ध)          | सहायक निदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन जयपुर          | पदोन्नति पर                                |
| 6      | श्री राजेन्द्र प्रसाद  | मूल्यांकन अधिकारी, निदेशालय मूल्यांकन संगठन जयपुर                 | सहायक निदेशक, निदेशालय मूल्यांकन संगठन जयपुर          | पदोन्नति पर श्री सीता राम यादव के स्थान पर |

पदोन्नत अधिकारी आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करें अन्यथा पदोन्नति परित्याग समझा जावेगा।

उक्त समस्त अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण संबंधी रिपोर्ट [as.plan@rajasthan.gov.in](mailto:as.plan@rajasthan.gov.in) के माध्यम से आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. भारती दीक्षित)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (आयोजना), राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, मूल्यांकन संगठन विभाग, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/अधिकारी।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

(स्नेहा सिंघानी)  
सहायक शासन सचिव